न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 63 / 2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 कजोड़मल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 बिमला देवी पुत्री सांवलराम पत्नी रतनसिंह जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी हाल चारा का बास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

2 बनारसी देवी पुत्री सांवलराम पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी बामलास हाल भाटीवाह तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

3 रामेश्वर पुत्र सांवलराम।

4 कुरडाराम पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासीगण बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

5 राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28.10.15 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा
बिमला देवी बनाम रामेश्वर वगैरह प्रार्थना पत्र
अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 193/2013

उपस्थित

1. श्री सुभाष चन्द्र पूनियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पवन धोलपुरिया अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—11.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 193/2013 में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में आवेदिकागण रेस्पोडेंटस ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि गत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 551,653,654,655,586 हाल खसरा नम्बर 551,1672/586, 655,1675/655,1671/551,586,1673/655,1674/655,653,654 वाके ग्राम बामलास तहसील उदयपुरवाटी के सन्दर्भ में प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि कुल रकबा में से केवल मात्र 0.43 हैक्टेयर का विक्रय किया गया है। शेष भूमि बची हुई है बहनों का हिस्सा बचे हुये रकबे में सुरक्षित है फिर भी विचारण न्यायालय ने स्थगन जारी किया है जो विधि सम्मत नही है अत अपील स्वीकार कर धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है जिसमें उनका भी हक हिस्सा है अपीलांटस ने विरासत का नामान्तकरण अकेले के नाम करवा लिया है विवाद हिस्से का नही है अपितु कीमती जमीन जो विक्रय की गई है उसमें भी रेस्पोडेंटस का बराबर हक अधिकार है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट ने विवादित भूमि पक्षकारों की पैतृक होने, रेस्पोडेंट का हक हिस्सा होने से इनकार नही किया है केवल मात्र यह कथन किया है कि सम्पूर्ण रकबे में से 0.43 हैक्टेयर का ही बेचान किया है। शेष रकबा सुरक्षित है जिसमें से आवेदकगण अपना हक हिस्सा ले सकते है। हम अपीलांट के तर्क से सहमत नही है चूकिं विवादित भूमि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस के पिता सांवलराम की खातेदारी की होना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्विवाद है ऐसी स्थिति में पक्षकारों की पैतृक भूमि होने से सभी का नाम विरासत के नामान्तकरण में आना चाहिए था किन्तु अपीलांट ने अकेले अपने नाम विरासत दर्ज करवाकर सहखातेदारी की भूमि में से बिना विभाजन 0.43 हैक्टेयर भूमि का बेचान कर दिया है। जिससे आवेदिकागण रेस्पोडेंट के हक अधिकार प्रभावित होते है इन तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

11/x/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर